25/2/21 अधि० वादी व पैरोकार सरकार उप० ।

बहस सुनी गई। जो मुख्य रूप से वाद पत्र व जवाब के अनुसार रही।

वादीगण का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी शामिल ख०नं० 26 मि० रकबा 20:08 बीघा वाके ग्राम बोहून्दा किस्म सिवायचक तहसील येडा ... में स्थित थी उक्त ख.नं. 26 मिन काफी बड़ा रकबा था। उक्त भूमि में से रकबा 2:10 बीघा भूमि वादी के भाई फूलचन्द पुत्र गुवाना कौम ब्राह्मण को नामा० नं. 847 दि० 03.5.1983 को आवंटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया था। जिसका सुपुर्दगीनामा दिया जा चुका था तरमीम भी कर दी गई थी उसी अनुसार आज तक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा वादीगण की खातेदारी के शामिल आ.ख.नं. 26 मि. रकबा 2:10 बीघा के स्थान पर नवीन खसरा नम्बर 79 रकबा 0.75 हे०, 87 रकबा 0.04 हे० 90 रकबा 0.26 हे० वाके ग्राम बोहून्दा कायम कर खातेदारी प्रदान करनी चाहिए थी। वादीगण के भाई फूलचन्द पुत्र गुवाना की मृत्यु दि० 21/8/2016 को नाऔलाद फौत हो चुकी जिसके जायज वारिसान वादीगण ही है फूलचन्द की मृत्यु के बाद उक्त आराजियात पर वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु भू-अभि० कर्मचारियों ने बिना वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये व बिना मौके की जांच किये वादीगण की उक्त आराजी की किस्म चारागाह

Ruby

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजियात में से 2:10 बीघा भूमि आंवटन के अनुसार वादीगण के खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिए थी। सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। खसरा परिवर्तनशील में भी उक्त आराजियात का कब्जा काश्त शुरु से वादीगण के भाई का व उसकी मृत्यु के बाद वादीगण का ही दर्ज होता चला आ रहा है। दि० 20/12/2017 को प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कर्मचारियों पटवारी द्वारा गलत तौर पर वादीगण के कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत करना चाहते हैं इसलिये याचकी होकर उक्त आराजी चरागाह में दर्ज है इसलिए आराजियात उन्हें काश्त भी नहीं करने देंगे इसलिए प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द फरमावें कि वादीगण के कब्जे में दखल न करें।

अतः दावा वादीगण डिग्री किया जाकर आराजी ख०नं० $\frac{75}{0.24}$, $\frac{81}{0.04}$, $\frac{90}{0.04}$ वाके ग्राम बोदून्दा में कुल 0.62 है० रकबे का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे नक्शे में पूर्व अनुसार तरमीम की जावे प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में सनतन बेजा मजाहमत नहीं करें, जबरन बेदखल नहीं करें, कब्जा नहीं करें हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

वाद संस्थित होने पर तलबी प्रतिवादीगण नोटिस सम्मन की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश कर वाद पत्र को नकारा।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में Rulley

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	नकल पट्टा प्रदर्श 1, आवेदन पत्र बाबत भूमि आवंटन प्रदर्श 2, सुपुर्दगीनामा प्रदर्श 3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत 2033 से 2036 प्रदर्श 5, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6 नामान्तकरण सं. 847 प्रदर्श 7, खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2070 प्रदर्श 8, सम्वत 2056 प्रदर्श 9, सम्वत 2051 प्रदर्श 10, सम्वत 2066 प्रदर्श 11, सम्वत 2067 प्रदर्श 12, सम्वत 2058 प्रदर्श 13, प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत बोरून्दा प्रदर्श 14, प्रमाण-प्रमाण पत्र फूलचन्द शर्मा s/o भुवाना एवं, नकल रिपोर्ट पटवारी व आवंटन आदेश प्रदर्श 15 पेश किये तथा बयानात वादी मोतीलाल, हीरालाल, बद्रीलाल, सीताराम, सत्यनारायण, महेश के दर्ज कराये गये।
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आवेदन पत्र बाबत आवंटन प्रदर्श 2 के अनुसार फूलचन्द s/o भुवाना ब्राह्मण निवासी बोरून्दा द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया था। उक्त आवेदन पत्र के पेश होने पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई उसके बाद ख.नं. 26 में 2:10 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा आवेदक फूलचन्द को आवंटन किया जाना प्रदर्श 15 से जाहिर है उसके बाद आवंटी को कब्जा भूमि सुपुर्द किया गया जो कि प्रदर्श 3 से जाहिर है व पट्टा प्रदर्श 1 है पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 के अनुसार साबिक ख.नं. 26 मि. से हाल ख.नं. 75, 87, 90 बनना पाया जाता है जमाबंदी सम्वत 2033 से 2036 प्रदर्श 5 के अनुसार ख.नं. 26 मि. रकबा 24:01 बीघा सिवायचक बंजड़ I दर्ज है कि इसमें से 2:10 बीघा भूमि आवंटन हुई है आवंटन के बाद आवंटी फूलचन्द पुत्र भुवाना ब्राह्मण के 2:10 बीघा की गैर खातेदारी जरिये नामा

Reday

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
संख्या 847 से स्पष्ट है जो प्रदर्श 7 व प्रदर्श 8 से 13 तक खसरा परिवर्तन शील के अनुसार अपीलार्थी आँवटी का कब्जा कास्त दर्शाया हुआ है आँवटी फूलचन्द की मृत्यु दि० 21/8/2016 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र से जाहिर है प्रदर्श 14 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के अनुसार दर्शाया है कि फूलचन्द, मोतीलाल, पांचूलाल, हीरालाल भाई है फूलचन्द की पत्नी छोटी देवी है। छोटी देवी व फूलचन्द दोनों पति-पत्नि का लावारिस फौत होना दर्शाया है दौराने भू-प्रबन्ध साबिक ख० नं० 26 मि० के हाल ख० नं० 75, 87, 90 बनना प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल से जाहिर है हाल रिकार्ड में ख० नं० 75, 90 को भू-प्रबन्ध द्वारा सिवायचक दर्ज किया तथा ख० नं० 87 दिगर खातेदारान ओमप्रकाश माता बरजा देवी, नन्दलाल प्रेमचन्द पि० फूलचन्द, रामनिवास पुत्र नारायण, रामपाल पुत्र माता छोटीदेवी जाति कुम्हार (प्रजापति) के नाम दर्ज है हस्तगत वाद में वादीगण घोषणा खातेदारी का अनुतोष चाहते है सर्वप्रथम तो वादीगण ही मृतक फूलचन्द के उत्तराधिकारी अन्य कोई नहीं है इस तात्पर्य का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वादीगण के पास नहीं होना जाहिर है साथ ही वाद पत्र में यह भी उल्लेख नहीं किया है कि आँवटी फूलचन्द (मृतक) के उक्त तीनों वादीगण के अलावा अन्य कोई भाई या बहिन नहीं है अन्य भाई-बहिन होने के तथ्य से भी यहां नकारा नहीं जा सकता है इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा वाद की मद नं० 3 में उल्लेख किया हैं कि भू-प्रबन्ध द्वारा उक्त आराजी को चरागाह दर्ज कर दी गई। यह तथ्य गलत अंकित किया है हाल Ruby	

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	ख.नं. 75, 90 तो सिवायचक है तथा खं. नं. 87 डिंगार जाति के खातेदारान जो कि प्रजापति (कुम्हार) जाति है के नाम खातेदारी में दर्ज है जिन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वे भी आवश्यक पक्षकार है इस प्रकार जाहिर है कि वादीगण स्वच्छ हाथों (Clean Hand) से नहीं आये है वाद पत्र की Pleadings भी अस्पष्ट है गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है जो संधारणीय नहीं है लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण खारिज किया जाता है पर्चा डिक्री मुताबिक हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो हुक्म आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। Rukey